उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

संख्या बी-3-1840/दस-2014-100(4)/2002-ब0मै0

लखनऊ दिनॉक 01 अक्टूबर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आय-व्ययक नियम संग्रह (बजट मैनुअल) के सप्तम संस्करण में प्रस्तर- 94 के प्रथम दो परन्तुकों को शासन द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
Provided that where the total amount of the project/scheme or of the service does not exceed Rs. one crore or where the amount is required for payment of a decretal amount, the approval of the Minister of Finance and the Chief Minister shall not be necessary.	**Provided that where the total amount of the project/scheme or of the service does not exceed Rs. five crore or where the amount is required for payment of a decretal amount, the approval of the Minister of Finance and the Chief Minister shall not be necessary. In such cases, prior concurrence of the Finance Department shall not be required.**
Provided further that where the amount exceeds Rs. one crore but does not exceed Rs. three crore, the approval of the Chief Minister shall not be necessary.	**Provided further that where the amount exceeds Rs. Five crore but does not exceed Rs. fifteen crore, the approval of the Chief Minister shall not be necessary.**

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का प्रस्तर-94 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

राहुल भटनागर

प्रमुख सचिव ।

संख्या बी-3-1840(1)/दस-2014 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2- प्रमुख सचिव, राज्यपाल ।
3- प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद सचिवालय ।
4- मुख्य सचिव के निजी सचिव ।
5- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6- वित्त विभाग के समस्त व्यय नियंत्रण अनुभाग/समस्त सम्बद्ध अधिकारी ।
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)

विशेष सचिव ।

G.O.14116